संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के चौथे खण्ड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी का आदेश

भारत सरकार गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के दिनांक 28 जनवरी, 1992 के संकल्प संख्या 12019/10/91-रा.भा. (भा.) की प्रति

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी । इस समिति की तीन उप समितियों द्वारा अनेक मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/संस्थानों आदि के निरीक्षण तथा गणमान्य व्यक्तियों के साथ चर्चा के पश्चात् अपने प्रतिवेदन के चौथे खंड में हिंदी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला गया है और इन निरीक्षणों और अद्यतन सूचनाओं का विश्लेषण करने के पश्चात् समिति ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा राजभाषा अधिनियम एवं नियमों को समुचित रूप से लागू करने के संबंध में सिफारिशें करते हुए अपने प्रतिवेदन का चौथा खंड नवम्बर, 1989 में राष्ट्रपति जी का प्रस्तुत किया । राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(3) के अनुसार इसे अगस्त, 1990 में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया । इसकी प्रतियां राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को उनकी राय जानने के लिये भेजी गयी । चूंकि सिफारिशों का संबंध मंत्रालय/विभागों तथा उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों और संस्थानों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन/हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के संदर्भ में है । अत: इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से भी राय आमंत्रित की गई । राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के निम्नलिखित अनुसार आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है :–

(1) निरीक्षण तथा मानिटरिंग

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा नीति के कारगर रूप से कार्यान्वयन हेतु निरीक्षण तथा मानीटरिंग व्यवस्था मजबूत करना आवश्यक है । इसके लिये अनुवाद कार्य और निरीक्षण तथा मानिटरिंग के लिये अलग-अलग स्टाफ की व्यवस्था की जाए ।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करें कि वे अपने कार्य के स्वरूप और आवश्यकता को देखते हुये मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में समुचित निरीक्षण तथा मानीटरिंग व्यवस्था स्थापित करें और इसके लिये आवश्यकतानुसार पदों का भी सृजन करें ।

(2) राजभाषा नीति संबंधी जानकारी और मनोवृत्ति

(क) हिंदी कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन

समिति की यह सिफारिश कि अधिकारियों/कर्मचारियों की मनोवृत्ति बदलने हेतु और उन्हें राजभाषा नीति की व्यापक जानकारी कराने हेतु समय-समय पर गोष्ठियां, सम्मेलन, कार्यशालाएं आदि आयोजित की जायें, मान ली गई हैं ।

राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिये जारी वार्षिक कार्यक्रम में यद्यपि लक्ष्य निर्धारित किया जाता है किन्तु उसका पूर्णरूपेण अनुपालन नहीं हो पाता । अत: राजभाषा विभाग पुन: सभी मंत्रालयों/विभागों से समिति की सिफारिशों के अनुसार नियमित रूप से कार्यशालाएं, गोष्ठियां, सम्मेलन आदि का आयोजन करने को कहे और समय-समय पर इसकी समीक्षा भी करें ।

(ख) हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करना

समिति ने यह भी सिफारिश कि है कि उनके प्रतिवेदन के तीसरे खण्ड में इस संदर्भ में की गई सिफारिशों के अनुरूप अगले पांच वर्षों के दौरान, अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में काम करने की झिझक दूर करने के लिये नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए और ऐसी कार्यशालाओं में हिंदी जानने वाले प्रत्येक कर्मचारी को वर्ष में कम से कम एक बार इनमें भाग लेकर हिंदी में मूल रूप से काम करने के अभ्यास का अवसर मिले ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गयी है । राजभाषा विभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अनुराध करे कि वे नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन करें जिससे कि अधिकारियों, कर्मचारियों की हिंदी में काम करने का झिझक दूर हो सके ।

2493 HA/06—8A

(ग) अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन

समिति ने सिफारिश कि है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग वर्ष में एक बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित करे ।

समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गयी है कि वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में वर्तमान में लगाये गये प्रतिबंध को हटाने के बाद ही ऐसे सम्मेलन आयोजित किये जायें । इस संबंध में राजभाषा विभाग यथासमय निर्देश जारी करे ।

(3) गोपनीय रिपोर्टों में राजभाषा के संबंध में प्रविष्टियां

समिति ने सिफारिश की है कि अधिकारियों, कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों में उनके राजभाषा हिंदी के ज्ञान का स्तर उनमें हिंदी में कार्य करने की क्षमता और अभिरूचि का उल्लेख किया जाये ।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली जाये । इसे लागू करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि इससे संघ सरकार की सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों का केवल इस आधार पर कि वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है कोई अहित न होगा ।

इसके लिए समुचित उपायों पर विचार करने के लिए राजभाषा विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करें ।

(4) हिंदी, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण

समिति ने सिफारिश की है कि उनके प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि आदि के प्रशिक्षण के बारे में और तीसरे खण्ड में हिंदी शिक्षण के बारे में जो सिफारिश की गयी है, उसे शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाये ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गयी है । राजभाषा विभाग द्वारा समिति के प्रतिवेदन के दूसरे और तीसरे खण्ड में की गई सिफारिशों पर संकल्प जारी कर दिए गए हैं । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करे कि वे उक्त सभी सिफारिशों को लागू करने के संबंध में सम्बद्ध संकल्प में किये गये प्रावधान के अनुसार एक समयबद्ध कार्यक्रम बनायें और समय-समय पर उसकी समीक्षा करें ताकि समिति की सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जा सके ।

(5) हिंदी टाइपराइटर और अन्य यांत्रिक सुविधाएं

(क) हिंदी टाइपराइटर आदि की सुविधाएं

समिति ने सिफारिश की है कि उनके प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में हिंदी टाइपराइटरों तथा अन्य यांत्रिक सुविधाओं के संबंध में की गयी सिफारिश पर शीघ्र कार्रवाई की जाए और इस बारे में सरकार के आदेशों का गम्भीरतापूर्वक अनुपालन किया जाये ।

यह सिफारिश मान ली गयी है । राजभाषा विभाग द्वारा समिति के प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में की गई सिफारिशों पर संकल्प जारी कर दिए गए हैं । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करे कि वे समिति के प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में की गई सिफारिशों को संकल्प में किये गये प्रावधान के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र लागू करें ।

(ख) कम्प्यूटर, शब्द-संसाधक, टेलीप्रिन्टर आदि में हिंदी का प्रयोग

समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न इलैक्ट्रानिकी उपकरणों जैसे कम्प्यूटर, शब्द-संसाधक, टेलीप्रिन्टर आदि में अंग्रेजी के साथ-साथ जब तक हिंदी में काम करने की क्षमता उपलब्ध न हो तब तक ऐसे उपकरण न लगाये जायें और कम्प्यूटर आदि में जहां देवनागरी के साफ्टवेयर उपलब्ध न हों, तुरन्त उपलब्ध कराये जायें ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गयी है । राजभाषा विभाग, इलैक्ट्रानिक विभाग से अनुरोध करे कि वे इस संबंध में जांच-बिन्दु स्थापित करें जिससे कि समिति की सिफारिश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके । इलैक्ट्रानिक विभाग जहां कम्प्यूटर आदि में देवनागरी के सॉफ्टवेयर उपलब्ध न हों उन्हें उपलब्ध कराने की दिशा में शीघ्रातिशीघ्र समुचित कार्रवाई करे ।

(6) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

(क) धारा 3(3) का अनुपालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित करना

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और इसके लिए प्रतिवेदन के पहले खण्ड में की गयी तत्संबंधी सुविधाओं के बारे में सिफारिशों पर और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति करने के बारे में शीघ्र कार्रवाई की जाये ।

यह सिफारिश मान ली गयी है । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों से राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए पुनः अनुरोध करे ।

(ख) "क" क्षेत्र में धारा 3 (3) के दस्तावेज केवल हिंदी में जारी करना

समिति ने सिफारिश की है कि "क" क्षेत्र में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के दस्तावेज (संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजातों को छोड़कर) केवल हिंदी में जारी किए जाएं ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(5) में किए गए प्रावधानों के अनुसार जब तक ऐसे सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार करने के बाद ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हरेक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता, तब तक धारा 3(3) की स्थिति यथावत् बनी रहेगी । अतः वर्तमान में समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार करना संभव नहीं है ।

(7) वार्षिक कार्यक्रम का यथासमय संवितरण और अनुपालन

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को अगले वित्तीय वर्ष का वार्षिक कार्यक्रम फरवरी माह के अन्त तक उपलब्ध करा दिया जाये और सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि वे उक्त कार्यक्रम की प्रतियां अपने अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि को तथा देश-विदेश में स्थित सभी कार्यालयों को अप्रैल माह के अन्त तक अवश्य भेज दें तथा उसका कड़ाई से अनुपालन करायें ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गयी है । राजभाषा विभाग इस संबंध में कार्रवाई करे एवं मंत्रालयों/विभागों से भी इस संबंध में वार्षिक कार्यक्रम का समय पर संवितरण एवं उसके अनुपालन के लिए अनुरोध करें ।

(8) राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

(क) समितियों का गठन

समिति ने सिफारिश की है कि प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यालय में, चाहे उनमें कार्यरत स्टाफ की संख्या 25 से अधिक हो या कम, अनिवार्य रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाये और कार्यालय अध्यक्ष को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाये ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गयी है । राजभाषा विभाग इस संबंध में निर्देश जारी करे ।

(ख) बैठकों का आयोजन

समिति ने सिफारिश की है कि प्रत्येक कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कम से 6 बैठकें बुलाई जायें ।

ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गयी । तथापि, समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग, सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध करे कि वे तथा उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में वर्ष में 4 बैठकों (प्रत्येक तिमाही में एक) का कारगर ढंग से आयोजन करने की अनिवार्यता को सुनिश्चित करें तथा इन बैठकों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श/समीक्षा भी सुनिश्चित करे ।

(ग) हिंदी सलाहकार समितियां

समिति ने सिफारिश की है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए अलग-अलग हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाए । उसका समय-समय पर पुनर्गठन किया जाए, वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाएं तथा समितियों की सिफारिशों पर ठोस रूप से यथासमय अनुवर्ती कार्रवाई की जाए ।

समिति ने यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि जो बहुत छोटे-छोटे मंत्रालय/विभाग हैं, उनमें संयुक्त रूप से हिंदी सलाहकार समिति गठित की जाए । शेष मंत्रालयों/विभागों की अलग-अलग हिंदी सलाहकार समितियां गठित की जाएं । राजभाषा विभाग इस परिप्रेक्ष्य में पुनः समीक्षा करके नीति निर्धारित करे ।

(9) विभागीय बैठकों/सम्मेलनों की कार्यसूची/कार्यवृत्त आदि

(क) समिति ने सिफारिश की है कि भारत सरकार के प्रत्येक कार्यालय द्वारा बुलाई गई बैठकों, सम्मेलनों, परिगोष्ठियों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त आदि एवं अन्य पत्राचार में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए ।

यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि केवल ''क'' क्षेत्र में परिचालित होने वाली कार्यसूची/कार्यवृत्त आदि एवं संबंधित पत्राचार केवल हिंदी में परिचालित किए जा सकते हैं । इस संबंध में राजभाषा विभाग आवश्यक निदेश जारी करे ।

(ख) समिति ने सिफारिश की है कि बैठकों, सम्मेलनों, परिगोष्ठियों में आमंत्रित व्यक्तियों को अपने विचार राजभाषा हिंदी में व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ।
यह सिफारिश मान ली गई है । इस संबंध में सभी मंत्रालय/विभाग आदि बैठकों, सम्मेलनों आदि में आमंत्रित व्यक्तियों से अपने विचार राजभाषा हिंदी में व्यक्त करने के लिए आग्रह करें ।

(10) हिंदी में पत्राचार और तार

समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाएं तथा मूल पत्राचार के राजभाषा नियमों में वर्णित अनिवार्यताओं का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाए और ''ग'' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के साथ भी हिंदी में पत्राचार को बढ़ाया जाए । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा ''क'' तथा ''ख'' क्षेत्र को भेजे जाने वाले तार देवनागरी में भेजे जाएं और ''ग'' क्षेत्र में भी हिंदी में तार भेजने की शुरूआत की जाये ।

हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देने तथा हिंदी में मूल पत्राचार करने के संबंध में की गई समिति की सिफारिश को मान लिया गया है । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करे कि वे वार्षिक कार्यक्रमों में निर्धारित हिंदी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ठोस उपाय करे । जो मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि लक्ष्य से बहुत पीछे हों, वे एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करके एक समय-सीमा के अन्दर समिति की सिफारिश का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

तार देवनागरी में भेजने के संबंध में समिति की सिफारिश आंशिक संशोधन के साथ मान ली गयी है । उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम में ''क'' तथा ''ख'' क्षेत्र की तरह ''ग'' क्षेत्र को भेजे जाने वाले तारों का लक्ष्य निर्धारित करे और सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को निदेश जारी करके उनका अनुपालन सुनिश्चित कराये ।

(11) शब्दकोष, शब्दावली, सहायक तथा संदर्भ साहित्य और अन्य हिंदी पुस्तकों की व्यवस्था

समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी में काम करने का वातावरण बनाने और राजभाषा हिंदी में मूल काम करने में उपलब्ध सहायक हिंदी पुस्तकों जैसे अंग्रेजी-हिंदी और हिंदी-अंग्रेजी शब्दकोष, सहायक और संदर्भ साहित्य, तकनीकी शब्दावलियां, तकनीकी साहित्य, ललित साहित्य तथा विविध विषयों पर बाजार में उपलब्ध इस प्रकार के साहित्य का पूरा प्रचार किया जाये और इनका नि:शुल्क वितरण भी किया जाये । साथ ही हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए कुल अनुदान का 50 प्रतिशत खर्च किया जाये । राजभाषा विभाग द्वारा इस प्रकार की हिंदी की उपयोगी पुस्तकों का पता लगाने की प्रक्रिया निरन्तर चलाई जानी चाहिए और उनकी सूची सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे उसके अनुसार अपने पुस्तकालयों के लिए हिंदी पुस्तकें खरीद सकें ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा इनके कार्यान्वयन हेतु हालांकि पहले से निदेश जारी किए जा चुके हैं, तथापि समिति की यह सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में इनकी पुनरावृत्ति करते हुए पुन: आदेश जारी किए जायें ताकि इनका सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके ।

(12) कोड/मैनुअल और अन्य कार्यविधि साहित्य

समिति ने सिफारिश की है कि जिन मंत्रालय/विभागों आदि में अभी तक जिन कोडो/मैनुअलों और प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद नहीं हुआ है उनके द्वारा ऐसे सभी प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद का काम पूरा करने का कार्य राजभाषा विभाग के दिनांक 30 दिसम्बर, 1988 के संकल्प के अन्तर्गत राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार निर्धारित समय-सीमा के अन्दर अर्थात् वर्ष 1991 (रक्षा मंत्रालय के संदर्भ में 1994-95) के अन्त तक पूरा कर लिया जाए । (चूंकि वर्ष 1991 समाप्त हो गया है अत: अब यह लक्ष्य 1992 के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाए) ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि को पुन: इस संबंध में निदेश दिए जाएं कि इस कार्य के लिए निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाये । सभी मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध किया जाए कि वे अपने-अपने कोड/मैनुअल, फार्म और अन्य कार्यविधि साहित्य अद्यतन रूप में अपने सभी कार्यालयों में संवितरित कराएं, प्रक्रिया साहित्य में संशोधन कराएं तथा इसके लिए सरकारी मुद्रणालय को चैक-प्वाइंट बनाते हुए इस पर पूरी निगरानी रखे ।

(13) रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, साइन बोर्ड, शीर्ष और पत्र-शीर्ष आदि

समिति ने सिफारिश की है कि भारत सरकार के देश-विदेश में स्थित सभी कार्यालयों और क्षेत्र ''क'' एवं ''ख'' में स्थित केन्द्रीय सरकार से अनुदान पाने वाले स्वैच्छिक संस्थान भी यह सुनिश्चित करें कि वे अपने-अपने नामपट्ट, रबड़ की मोहरें, पत्र-शीर्ष, लोगो आदि सभी द्विभाषी रूप में तैयार कराएं और ''ग'' क्षेत्र में स्थित ऐसे संस्थान इन्हें द्विभाषी रूप में तैयार करायें । पत्र-शीर्ष, नामपट्ट आदि बनवाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि सभी भाषाओं की लिपियों का आकार बराबर हो ।

समिति की यह सिफारिश भी मान ली गई है । राजभाषा विभाग, इस संबंध में पहले से जारी निर्देशों को पुनः परिचालित करे एवं कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें ।

(14) प्रशिक्षण का माध्यम

समिति ने केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने के संबंध में अपनी रिपोर्ट के तीसरे खण्ड में इस संबंध में की गई सिफारिशों को दोहराते हुए अपेक्षा की है कि उन्हें तुरन्त कार्यान्वित किया जाए और इस विषय में जारी किए गए अनेक सरकारी आदेशों व अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए क्योंकि इस संबंध में अब पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध हैं ।

समिति के प्रतिवेदन के खण्ड-3 में की गई इस सिफारिश को पहले ही स्वीकार कर लिया गया और इस संबंध में राजभाषा विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1991 के संकल्प के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है ।

(15) भर्ती परीक्षाओं में हिंदी का विकल्प

समिति ने सिफारिश की है कि भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता को तुरन्त समाप्त करके यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 18 जनवरी, 1968 के संसद् के संकल्प में की गई व्यवस्था का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाए और उस प्रावधान में अन्तर्निहित भावना का पूर्ण आदर किया गया।

समिति की यह सिफारिश भी मान ली गई है । तथापि अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने के मामले पर चूंकि संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् ही निर्णय लिया जाना है जैसा कि समिति के प्रतिवेदन के खण्ड-3 के सम्बन्ध में राजभाषा विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1991 के संकल्प में उल्लेख है । अन्तिम निर्णय हो जाने पर राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/कार्यालयों आदि को इस संबंध में आवश्यक सूचना भेजे ।

(16) रजिस्टरों और सेवा-पुस्तिकाओं के शीर्षक और प्रविष्टियां

समिति ने सिफारिश की है कि सभी कार्यालयों में उपलब्ध रजिस्टरों और सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओं के शीर्षक द्विभाषी होने चाहिएं और उनमें प्रविष्टियां हिंदी में होनी चाहिएं । इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्दियों पर लगाए जा रहे बिल्ले/प्रतीक चिह्न आदि भी हिंदी में अवश्य होने चाहिएं, वर्दियों पर काढ़े जाने वाले नाम भी दोनों भाषाओं–हिंदी और अंग्रेजी में होने चाहिएं । इसके अतिरिक्त ''क'' और ''ख'' क्षेत्र में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिंदी में ही लिखे जाएं ।

समिति की यह सिफारिश आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है । ''क'' व ''ख'' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रखे जाने वाले रजिस्टरों/सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं तथा ''ग'' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियां यथा-सम्भव हिंदी में की जाएं । इस सम्बन्ध में राजभाषा विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए निदेश पुनः सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि को परिचालित किये जाएं ताकि समिति की इन सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।

(17) जांच-बिन्दु

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम-12 के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान, राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुबन्धों के समुचित अनुपालन के लिए जांच बिन्दु बनाने के सम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक पालन करें और जांच बिन्दुओं को प्रभावी ढंग से स्थापित करें ।

समिति की यह सिफारिश भी मान ली है । राजभाषा विभाग इस सम्बन्ध में पुनः मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध करे कि वे अपने कार्यालयों में जांच बिन्दुओं को सक्रिय और प्रभावी बनाना सुनिश्चित करें ।

2493 HA/06—9A

(18) द्विभाषी प्रकाशन

समिति ने सिफारिश की है भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संगठनों आदि द्वारा केवल अंग्रेजी में प्रकाशन न निकाले जायें बल्कि द्विभाषी रूप में प्रकाशन निकाले जायें । हिंदी प्रकाशनों की मुद्रित संख्या, अग्रेंजी प्रकाशनों की तुलना में कम न हों और द्विभाषिक प्रकाशनों में हिंदी के पृष्ठों की संख्या अग्रेंजी के पृष्ठों की संख्या से कम न हो । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस दिशा में विशेष रूप से कदम उठाये जायें तथा हिंदी में नये मौलिक प्रकाशन निकाले जायें ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि से इस सम्बन्ध में पुनः अनुरोध करे ताकि समिति की इस सिफारिश को पूर्णरूपेण कार्यान्वित किया जा सके ।

(19) समिति के प्रतिवेदन पर समयबद्ध कार्रवाई

(क) समिति ने सिफारिश की है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के चारों खण्डों में की गई सिफारिशों पर अविलम्ब अपेक्षित कार्रवाई की जाये जिससे संघ की राजभाषा नीति के सुचारू एवं प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की समिति द्वारा की गई मंत्रालयवार समीक्षा सम्बन्धी अनुच्छेदों की प्रतियां सम्बन्धित कार्यालयों आदि को तत्काल अग्रेषित की जाएं और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं ।

समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी है । समिति के प्रतिवेदन के चारों खण्डों में की गई सिफारिशों एवं उनके परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग द्वारा जारी संकल्पों/अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध करे और समय-समय पर स्थिति का जायजा लेने की व्यवस्था करे ।

(ख) समिति ने अपने प्रतिवेदन के दूसरे और तीसरे खंड में की गई अपनी इस सिफारिश को दोहराया है कि देश की एकता और अखण्डता के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग के दायित्व व महत्व को देखते हुए भारत सरकार राजभाषा विभाग का पुनर्गठन करे, उसे और अधिक सुदृढ़ बनाए और उसे एक मंत्रालय का दर्जा दे जिससे भारत सरकार की राजभाषा नीति को उसके सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों तथा स्वायत निकायों में प्रभावी और कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जा सके ।

गृह मंत्रालय के महत्व, कार्य-क्षेत्र, एंव विभिन्न राज्य सरकारों के साथ इसके सम्पर्क को देखते हुए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के ही अन्तर्गत रखा जाये । अतः समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है । तथापि, समिति की सिफारिशों के अनुसार राजभाषा विभाग को और अधिक सुदृढ़ और सक्षम बनाया जाये ।

ह./-

(महेन्द्र नाथ)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार